रिटर्न अभी तक दाखिल न किया तो 31 दिसंबर तक ही वक्त बचा

देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपको विलंब शुल्क और ब्याज भरना पड़ेगा तथा कारोबारी या पूंजीगत घाटा अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे

बिंदिशा सारंग

आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आम तौर पर 31 जुलाई होती है और कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी इस 31 जुलाई को खत्म हो गई। मगर जो लोग किसी वजह से रिटर्न नहीं भर सके, उनके लिए अभी एक मौका बाकी है। आयकर अधिनियम में विलंब से यानी बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका दिया जाता है। सीएनके में पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग बताते हैं, 'जिस करदाता को आयकर अधिनियम 1061 की धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, वह अगर चूक जाता है तो 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है।'

झंझट से बचेंगे

बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से आप कर नियमों का पालन करने वाले माने जाते हैं और कानूनी झंझटों से बच जाते हैं। आयकर रिटर्न असल में सरकार के सामने करदाता की आय और आय के स्रोतों का सबूत होता है, जिसके जरिये वह वैध करदाता साबित होता है। उच्चतम न्यायालय के वकील संदीप बजाज समझाते हैं, 'भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता और कारोबार उसके द्वारा दिए गए कर और दाखिल किए गए आयकर रिटर्न पर निर्भर करती है। इससे उन्हें देश में अपनी नागरिकता या कारोबार जारी रखने में मदद मिलती है।' करंजावाला ऐंड कंपनी एडवोकेट्स में प्रिंसिपल एसोसिएट अंकित राजगढ़िया का कहना है कि यदि आपका अधिक कर कट गया है, आप रिफंड चाहते हैं मगर पहली मियाद तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो भी आप देर से रिटर्न भर कर रिफंड का दावा कर सकते हैं।

वित्तीय खमियाजा

देर से रिटर्न भरकर आप मुसीबत से बच सकते हैं मगर इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। वेद जैन ऐंड एसोसिएट्स में पार्टनर अंकित जैन समझाते हैं, 'यदि आय बुनियादी छूट सीमा से ज्यादा है और रिटर्न तय तारीख के बाद मगर 31 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले दाखिल किया गया है तो 5,000 रुपये विलंब शुल्क भरना पड़ता है। मगर आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो विलंब शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होता।'

पीएसएल एडवोकेट्स ऐंड सॉलिसटर्स में पार्टनर शोएब कुरैशी आगाह करते हैं कि देर से रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को धारा 234ए के तहत ब्याज भी देना पड़ता है। धारा 234ए के तहत बकाया कर पर हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्याज लगाया जाता है।

नारंग कहते हैं कि धारा 234ए के तहत ब्याज के अलावा धारा 234बी के तहत भी ब्याज लग सकता है। इससे करदाता की कुल कर देनदारी बढ़ जाती है। धारा 234बी कर के अग्रिम भुगतान में देर या अधूरे भुगतान पर लागू होती है। एक दिक्कत यह भी है कि जो देर से रिटर्न भरते हैं, उन्हें चैप्टर 6-ए के भाग सी के तहत कटौती का फायदा नहीं मिलता। नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका भी ऐसे करदाता से छीन लिया जाता है। आईपी पसरीचा ऐंड कंपनी में पार्टनर मनीत पाल सिंह बताते हैं, 'करदाता आवासीय संपत्ति यानी मकान से होने वाले नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है मगर कारोबारी और पूंजीगत नुकसान को आगे ले जाने की इजाजत नहीं मिलती।'

इंतजार न करें

बिलेटेड रिटर्न फौरन दाखिल करें और उसे भी आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2023 तक के लिए न टालें। ध्यान रहे कि देर से रिटर्न दाखिल करते समय दी गई हरेक जानकारी पूरी तरह सही हो ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। राजगढ़िया समझाते हैं, 'रिटर्न में दी गई जानकारी के सभी कागजी सबूत तैयार रखें क्योंकि कर विभाग उनका सत्यापन कर सकता है।' यदि आप पर कर बनता है तो बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से पहले ब्याज समेत उसे चुका दें।

बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई चूक हो गई है तो आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं। आप आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 2023 की आधी रात तक अपना रिटर्न ऑनलाइन संशोधित कर सकते हैं। अपने रिटर्न को दाखिल करने के 30 दिन के भीतर आप वेरिफाई कर सकते हैं।

सिंह की सलाह है कि देर से रिटर्न दाखिल करते समय पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए। वह कहते हैं, 'नुकसान और टीडीएस, टीसीएस तथा अग्रिम भुगतान की वापसी का दावा करते समय बहुत सावधानी बरतें।'

आयकर विभाग ग्राहकों की सहायता के लिए को-ब्राउजिंग फैसिलिटी नाम की सुविधा देता है। इसमें कर एजेंट रिटर्न दाखिल करने में करदाता की सहायता करते हैं। बजाज कहते हैं, 'को-ब्राउजिंग फैसिलिटी में एजेंट चैट के जरिये करदाता से बात करता है। जिन्हें रिटर्न दाखिल करने में किसी माहिर की मदद चाहिए, वे यह सुविधा ले सकते हैं।'

यदि कानूनन आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है और आप 31 जुलाई चूक गए हैं तो आप बिना चिंता देर से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कुरैशी कहते हैं, 'अगर आपकी आय इतनी ही है कि धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है तो कर निर्धारण यानी असेसमेंट वर्ष खत्म होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर भी आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।'

कैसे दाखिल करें बिलेटेड रिटर्न

- बिलेटेड रिटर्न बिल्कुल वैसे ही दाखिल किया जाता है, जैसे तय तारीख या उससे पहले कर रिटर्न भरा जाता है
- आयकर रिटर्न फॉर्म भरते समय 'रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4)' चुनें
- यदि आपको वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट वर्ष 2023-24) के लिए बिलेटेड रिटर्न भरना है तो आपको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अधिसूचित रिटर्न फॉर्म इस्तेमाल करना होगा
- कर विभाग द्वारा दी जा रही को-ब्राउजिंग फैसिलिटी वे करदाता इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें ऑनलाइन रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए तकनीकी मदद चाहिए
- मदद के लिए बैठे एजेंट उन्हें ई-फाइलिंग प्रक्रिया समझा सकते हैं, वेबसाइट के विभिन्न चरणों से गुजरकर जरूरी काम पूरे करने में मदद कर सकते हैं

कर्ज आसानी से नहीं मिला तो क्रेडिट कार्ड बनेगा दवा

सर्वजीत के सेन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले दिनों अपने मासिक बुलेटिन में बताया कि जिन लोगों ने पहले कभी किसी तरह का कर्ज नहीं लिया होता है यानी जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, उन्हें कर्ज देने में बैंक और संस्थाएं बहुत हिचकती हैं। कर्ज देने का फैसला करते समय उधार मांगने वाले की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री सबसे ज्यादा मायने रखती है।

पैसाबाजार की मुख्य उत्पाद अधिकारी राधिका बिनानी कहती हैं, 'कर्ज या क्रेडिट कार्ड की आपकी दरख्वास्त निपटाते समय बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। बढ़िया क्रेडिट हिस्ट्री बताती है कि कर्ज चुकाने में आप पूरी तरह जिम्मेदारी दिखाते हैं और इसकी वजह से आपको कम ब्याज दर पर कर्ज भी मिल सकते हैं। बेहतरीन क्रेडिट हिस्ट्री और ऊंचे क्रेडिट स्कोर के बल पर आपको ज्यादा से ज्यादा कर्ज भी मिल सकता है। मगर बैंक यह भी देखते हैं कि इस समय आपके कितने कर्ज चल रहे हैं और आप कितना कमाते हैं।'

कई बैंक तुरंत कर्ज या प्री-अप्रूव्ड कर्ज की सुविधा देते हैं। वे ग्राहकों के साथ पिछले तजुर्बे या उस ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री पर भरोसा करते हैं। बिनानी बताती हैं कि ऊंचे क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति को बिना कागजों या कम से कम दस्तावेज के बल पर पहले से मंजूर (प्री-अप्रूव्ड) कर्ज मिल सकते हैं। इस तरह के कर्ज की रकम भी बहुत जल्द उनके खाते में आ जाती है। मगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हुई तो आपको इस तरह के कर्ज नहीं मिलेंगे और शायद बैंक आपको कर्ज ही नहीं दें।

इसलिए क्रेडिट हिस्ट्री तैयार करना सबसे जरूरी होता है और इसका सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड लेकर उसका समझदारी से इस्तेमाल करना। ऐंड्रोमेडा सेल्स और अपनापैसा डॉट कॉम के कार्यकारी चेयरमैन वी स्वामीनाथन बताते हैं, 'एक कारगर तरीका उस बैंक से क्रेडिट कार्ड पाना है, जहां आपका वेतन आता है या जहां आपका खाता है। ये बैंक अपने पुराने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड आसानी से दे देते हैं। शुरू में क्रेडिट लिमिट कम हो सकती है मगर शुरुआत तो होती है।'

अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी आसानी से नहीं मिल रहा तो किसी संपत्ति के बदले क्रेडिट कार्ड लें, जिसे सेक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। बैंक आपको सावधि जमा (एफडी) कराने पर क्रेडिट कार्ड दे सकता है। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपये की एफडी कराई है तो बैंक आपको 1.5 लाख रुपये तक क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड आसानी से दे देगा। बिनानी कहती हैं, 'चूंकि यह सेक्योर्ड कार्ड होता है, इसलिए क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होने का भी कोई असर नहीं पड़ता। इसके जरिये आप अपना क्रेडिट प्रोफाइल बना सकते हैं।'

आप मिली क्रेडिट सीमा का उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होती जाती है। स्वामीनाथन ने कहा, 'क्रेडिट हिस्ट्री धीरे-धीरे तैयार होती है और इसके लिए 6 से 12 महीने तक लगातार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है।'

ऋण विशेषज्ञ अमन कपूर समझाते हैं, 'अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए समय पर रकम चुकाना सबसे जरूरी है। साथ ही अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज न लें।'

क्रेडिट स्कोर 300 और 900 के बीच होता है। 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है। अच्छा स्कोर बनाए रखने के लिए समय से रकम चुकाना और उचित सीमा में ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यदि आप मिली क्रेडिट लिमिट के मुकाबले बहुत कम खर्च कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। कपूर की सलाह है, 'क्रेडिट कार्ड से खर्च काबू में रखें। आम तौर पर लोग यहीं फिसल जाते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। क्रेडिट लिमिट के 30 फीसदी से अधिक खर्च न करें।' उदाहरण के लिए यदि आपको 1.5 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट मिली है तो कार्ड के जरिये महीने में 45,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करें।

क्रेडिट स्कोर तैयार करने की कोशिश में कई तरह के कर्ज या कार्ड के लिए आवेदन नहीं करें। बिनानी समझाती हैं, 'थोड़े से वक्त में कई जगह कर्ज के लिए आवेदन करना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे लगता है कि आप कर्ज के भूखे हैं और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है।' यदि बैंक आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो उससे भी दूर रहें।

क्रेडिट रिपोर्ट पर रखें नजर

- अपनी क्रेडिट रिपोर्ट तीन महीने में एक बार जरूर जांच लें
- इससे पता रहता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जरूरत पड़ने पर कर्ज दिलाने के लिए अच्छा है
- क्रेडिट स्कोर खराब है तो उसे अच्छा होने में दो-तीन तिमाही लग सकती हैं
- क्रेडिट रिपोर्ट से पता चल जाता है कि कोई फर्जी तरीके से आपके नाम पर कर्ज तो नहीं ले रहा
- आपने कर्ज का आवेदन नहीं किया मगर क्रेडिट रिपोर्ट में कर्ज की पूछताछ दिखाई जा रही है तो कोई आपके प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है

व्यापार गोष्ठी

डेटा के दुरुपयोग रोकने के लिए नया कानून करेगा बेहतर काम

डेटा सुरक्षा के साथ रोजगार सृजन भी

इस कानून से जनता के संवेदनशील डेटा को भारतीय सर्वर या डेटा सेंटर में रखना अनिवार्य होगा। ऐसा करने के लिए अमेरिका, यूरोप व चीन की कंपनियों को भारत में अपने कार्यालय और सर्वर स्थापित करने पड़ेंगे। फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ऐपल, एमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर जब भारत में खुलेंगे तो बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होना स्वाभाविक है।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

साइबर अपराध में कमी आएगी

इस कानून का मूल उद्देश्य कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी के व्यक्तिगत डेटा उसकी सहमति के आधार पर ही इस्तेमाल है। इससे निजी डेटा की सुरक्षा बढ़ेगी और साइबर अपराध में कमी होगी। डेटा से जुड़े अपराधों के शिकायत के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना से लोगों को शिकायत करने का एक मंच उपलब्ध होगा।

सूरज कुमार
सेमापुर, बिहार

जनहित और राष्ट्रहित में है कानून

डिजिटल डेटा संरक्षण कानून व्यक्तिगत रूप के साथ ही राष्ट्रहित में भी काफी हितकारी है। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे कानून की जरूरत काफी समय से थी। सरकार ने 2017 से इस कानून को अमलीजामा पहनाना शुरू किया और 2023 में इसे ज्यादा व्यवस्थित व सुरक्षित किया। ताकि देश व विदेश में इसका कोई बेजा लाभ न उठा सके।

शकुंतला महेश नेनावा
इंदौर, मध्य प्रदेश

टेक कंपनियों को कड़े प्रबंध करने होंगे

इस कानून से भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का दुरुपयोग या उसकी रक्षा नहीं कर पाने पर जिम्मेदार इकाई पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। टेक कंपनियों को अब उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध करने होंगे एवं किसी भी तरह के डेटा लीक होने पर इसकी जानकारी सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और उपयोगकर्ता को देनी होगी।

ललित महालकरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

डेटा चोरी व धोखाधड़ी से मिलेगी राहत

लोग अब डेटा चोरी, लीक से हुई धोखाधड़ी आदि से बचेंगे और डेटा देते समय सुरक्षित महसूस करेंगे। कानून में कुछ कमियां भी लगती हैं जैसे अधिसूचित देशों को छोड़कर देश के बाहर डेटा भेजने की अनुमति, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्यों को छूट, आरटीआई ऐक्ट की धारा 8(1)(जे) में संशोधन आदि। लेकिन कानून के कार्यान्वयन के बाद ही समस्याओं का पता चलेगा।

बृजेश माथुर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

खुद ही अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी

डिजिटल पर्सनल डेटा बिल पारित करके सरकार ने लोगों की व्यक्तिगत डेटा की चोरी को एक हद तक रोकने का प्रयास किया है। मगर डिजिटल तकनीक प्रतिदिन नए आयाम स्थापित करते जा रही है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के आने से डेटा चुराना और अधिक आसान हो जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को खुद ही सावधानी बरतने की जरूरत है।

सुभाष बुड़ावन वाला
रतलाम, मध्य प्रदेश

वर्तमान समय की जरूरत कानून

यह बहुत प्रतीक्षित कानून है। जिसके अभाव में आम जन का जीवन सोशल मीडिया कंपनियों के पास जैसे अधीन हो गया था। हमारा डेटा और सूचना बिना हमारी सहमति के बैंकों, बीमा कंपनियों आदि के पहुंच जाता है। इसलिए बेवजह व अनावश्यक फोन की शिकायत करने, ऑनलाइन निस्तारण और अपील प्रक्रिया को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

विनोद जौहरी
दिल्ली

डेटा संरक्षण और पारदर्शिता

हमारे पास निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। डेटा का संरक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए, जो संबंधित व्यक्तियों के लिए वैध एवं निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए एकत्र किया गया हो।

मो. खुर्शीद
अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

साइबर क्राइम रोकने के लिए जरूरी

देश में साइबर अपराध बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी हो गया है कि व्यक्तिगत निजी संरक्षण कानून जल्द लागू हो। कुछ समय पहले व्हाटसऐप की सहायक कंपनी फेसबुक भी निजता के कारण सुर्खियों में आ चुकी है। जिस तरह साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं जाहिर है साइबर सुरक्षा व्यवस्था खास नहीं है। इसलिए आम लोगों को सोशल मीडिया का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

कंपनियों की जवाबदेही होगी तय

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के लागू होने से लोगों से डेटा लेकर उपयोग करने वाली डिजिटल कंपनियों की डेटा सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय होगी। नागरिकों के डेटा को सहेज करना डिजिटल कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी होगी। जवाबदेही तय होने से कंपनियों द्वारा डेटा के गलत उपयोग व बिना अनुमति डेटा खरीद फरोख्त पर लगाम लगेगी।

ऋषभ देव पांडेय
जांजगीर, छत्तीसगढ़

डेटा सुरक्षा का मजबूत ढांचा तैयार होगा

यह कानून अपने डेटा पर अधिकार एवं नियंत्रण भी देता है। नया कानून डिजिटल क्षेत्र में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा भी स्थापित कराने का प्रयास करता है। डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए संस्थाओं को उचित सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। डेटा उल्लंघन होने पर भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को सचेत रहना चाहिए।

मनमोहन राजावत
शाजापुर, मध्य प्रदेश

बतौर प्रयोग सीमित क्षेत्रों में ही लागू हो

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को कानूनन तय किए सभी सिद्धांतों पर खरा उतरना होगा। ताकि स्थायी व वैध पारदर्शिता भी बनी रहे। बच्चों के मामले में कंपनियों और पालक को ज्यादा सतर्क रहना होगा। कौन से डेटा व्यक्ति को संरक्षित करना या नहीं करना को ठीक से समझना होगा। डेटा जानने के लिए किसी को नामांकित करने को भी सुरक्षा प्रदान करना होगी।

बी एल शर्मा
उज्जैन, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

डेटा का दुरुपयोग रुकेगा

व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून बन जाने के बाद डेटा कंपनियों को किसी के व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। इन कंपनियों को संवेदनशील डेटा आधार, बैंक खाते आदि की जानकारी को देश के अंदर ही प्रोसेस करना होगा, इसे वे देश के बाहर नहीं ले जा सकतीं। इस कानून से नागरिकों को डेटा डिलीट कराने का अधिकार भी मिलेगा। अब तक विदेशी कंपनियां अपने यहां के कानून को मानने का हवाला देकर नागरिकों की बात नहीं सुनती हैं। लेकिन अब इन कंपनियों को देश का कानून मानना पड़ेगा और नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर डेटा कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। कुल मिलाकर यह कानून डेटा के दुरुपयोग रोकने और डेटा सुरक्षा के लिए काफी अच्छा है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

पुनीत भसीन
साइबर कानून विशेषज्ञ

अधिकारों की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कदम

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऐक्ट 2023 नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना है, जिससे देश को इन क्षेत्रों में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जा सके। यह कानून व्यक्तिगत डेटा संभालने के साथ खतरों को कम करेगा। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की तरफ से व्यक्तियों के डेटा के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं। इस कानून में भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने का भी प्रावधान है, साथ ही जुर्माने का भी प्रस्ताव है। जीवन और व्यवसाय को आसान बनाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने और आधारशिला के रूप में डेटा सुरक्षा को शामिल करके, यह अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक रास्ता तैयार करता है। यह कानून वैश्विक मंच पर डेटा-संचालित नवाचार में भारत की प्रगतिशील भूमिका के लिए मंच तैयार करता है।

बातचीत: सुशील मिश्र

मुकुंद कुलकर्णी
सीईओ, पेपर एडवांटेज इंडिया

पुरस्कृत पत्र

1

मनीष मिश्रा
दमोह, मध्य प्रदेश

पुरस्कार राशि
500 रुपये

साइबर सुरक्षा में क्रांति

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून का सर्वाधिक प्रभाव साइबर सुरक्षा पर रहेगा। सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा तक पहुंच वैध होगी। यह कानून डेटा संभालने वाली संस्थाओं की सीमा और जिम्मेदारियां तय करेगा। डेटा सुरक्षा उल्लंघन पर संस्था डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और डेटा धारक को तुरंत सूचित करेगी। डेटा के दुरुपयोग पर जुर्माना लगाना भी अहम साबित होगा। कानून में डेटा धारक को तीसरे पक्ष जिसके साथ डेटा साझा किया गया है, के बारे में सूचित करने की अवधि और भंडारण का पहलू शामिल नहीं है।

श्रेष्ठ पत्र

धनंजय कुमार श्रीवास्तव
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

डेटा दुरुपयोग पर जुर्माना

डेटा सुरक्षा कानून से अब भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का दुरुपयोग या उसकी रक्षा न कर पाने पर जिम्मेदार इकाई पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून से वर्ष 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने में मदद मिलेगी, लोगों की निजता की भी सुरक्षा होगी। डिजिटल रूप में निजी डेटा रखने या इसके इस्तेमाल के लिए अब संबंधित जन की अनुमति लेना जरूरी होगा।

सपना कबीरपंथी
पन्ना, मध्य प्रदेश

डेटा सुरक्षा बढ़ेगी

यह कानून व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के साथ वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि यह कानून राज्य की निगरानी करने की शक्ति को बढ़ाकर बच्चों सहित सभी की निजता व सुरक्षा के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज करता है तथा जिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को प्रभावित किया गया है, उनके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।

दीपक कौशल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

डेटा के लिए सहमति

यह कानून व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उपयोगकर्ताओं को उनकी गोपनीयता की रक्षा व उनके डेटा पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करेगा। जिससे वे अपनी जानकारी को प्रबंधित कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि बच्चों का डेटा उनके माता-पिता की जानकारी के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इसमें पर्सनल डेटा संरक्षण के नाम पर आरटीआई कमजोर हो सकता है।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

डॉक्टर को जनेरिक दवा लिखने की अनिवार्यता पर आपकी राय?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in